संख्या–पी– 154 / 14–2–2017–800(143) / 2017

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अनु सचिव
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक /
नोडल अधिकारी
उ0प्र0लखनऊ।

वन एवं वन्यजीव अनुभाग–2 लखनऊ, दिनांक 18 दिसम्बर 2017

विषय– लखनऊ से बलिया (बाया आजमगढ़) पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण में लखनऊ, बाराबंकी सुल्तानपुर आजमगढ़ मऊ एवं गाजीपुर वन प्रभाग में प्रभावित 9.1549 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं 8.4165 हे0 संरक्षित वनभूमि अर्थात कुल 17.5714 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक कुल 27942 वृक्षों / पौधों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या–1520 / 11–सी / एफपी / यूपी / रोड / 28804 / 2017, दिनांक 05–12–2017 का संदर्भ ग्रहण करें।

2– उक्त के सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि लखनऊ से बलिया (बाया आजमगढ़) पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण में लखनऊ, बाराबंकी सुल्तानपुर आजमगढ़ मऊ एवं गाजीपुर वन प्रभाग में प्रभावित 9.1549 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं 8.4165 हे0 संरक्षित वनभूमि अर्थात कुल 17.5714 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक कुल 27942 वृक्षों / पौधों के पातन की अनुमति विषयक प्रस्ताव में प्रभावित वन भूमि के भूस्वामित्व वाले विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न नही है। अतएव वांछित अनापत्ति प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
अनुसचिव